न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 187/2019
आरसीएमएस नं0 2022/00187
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

1. पालाराम पुत्र श्री मालुराम जाति जाट निवासी निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ।
2. मंसाराम पुत्र श्री बेगाराम जाति नायक निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र जुगलकिशोर जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 16 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. केसर पत्नी स्व0 जुगलकिशोर जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 16 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. संजय पुत्र स्व0 जुगलकिशोर जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 16 रावतसर तहीसल रावतसर जिला हनुमानगढ
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2019
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रावतसर
प्रकरण संख्या 303/2018 बअनवानी राजेन्द्र बनाम सरकार
श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः- 19.07.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष एक वाद पत्र धारा 88 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि चक 5 आरपीएम के प0 नं0 137/49 के किला नं. 5/1 की 0.025 है0, 6/1 की 0.051 है0, 14/1 की 0.025 है0 17/1 की 0.025 है0 कुल 0.125 है0 तहसील रावतसर की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के मुश्तरका खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में कोई खाला नहीं था ना ही वर्तमान में खाला अन्य किले में है, लेकिन उक्त भूमि की जमाबन्दी में गलत रूप से गैरमुमकिन खाला का अंकन दर्ज है। रेस्पोडेण्ट/वादी ने खातेदारी अधिकारों की धोषणा व जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर गैरमुमकिन खाला के अंकन को हटाने का अनुतोष मांगा, जिस पर विचारण न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 को खातेदार घोषित किया है। उक्त भूमि गैरमुमकिन खाला की भूमि है जिसमें पड़ौसी काश्तकारों को सिचाई सुविधा मिलती है। उक्त खाला के आगे चिपते किला नं. 4 में अपीलाण्ट की कृषि भूमि में खाला है जिससे होकर अपीलाण्ट संख्या 2 की कृषि भूमि में सिचाई सुविधा मिल रही थी। विचारण न्यायालय ने बिना दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकिन किये प्रभावित पक्षकारों को बिना सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये केवल मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की मौखिक साक्ष्य के आधार पर जलसंसाधन विभाग के स्वीकृत खाला को बिना किसी क्षेत्राधिकार के निरस्त कर दिया एवं गैरमुमकिन खाला की भूमि का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 को खातेदार घोषित किया है। प्रश्नगत भूमि गैरमुमकिन खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व उक्त किलों की शेष भूमि अलीशेर पुत्र सलामू खां के नाम दर्ज है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने अलीशेर से मिलीभगत कर खाले को ध्वस्त कर जलसंसाधन विभाग एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर मौका पर खाला नहीं हेाने की गलत रिपोर्ट करवाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। खाला की भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय को सुनने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। निर्णय से अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है, जिसे सुने

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बिना अपीलाधीन निणय पारित किया है। पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि में कभी भी खाला नहीं रहा है। विचारण न्यायलाय ने जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार खाल होना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय ने जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसे प्रकरण में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के अधार पर अपील पेश की है। जबकि खाला मौजूद ही नहीं है वह तो केवल रिजस्व रिकार्ड में दर्ज था। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है देरी से अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज की जावे।
5. विद्वान राजकीय अधिवकत ने अपनी बहस में कथन किया कि खाला का नियंत्रण जल संसाधन विभाग के पास है, जल संसाधन विभाग से कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई है। इसलिए विभाग का पक्ष सुना जाकर राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किया जावे।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए अपीलाधीन निर्णय का उसको ज्ञान न होना स्वाभाविक है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने प्रश्गनत खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना बताया एवं मौके पर मौजूद नहीं होना बताते हुए खाला की भूमि की जमाबन्दी दुरूस्त कर गैर मु0 खाला का अंकन हटाये जाने का अनुतोष मांगा जो स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत खाला के आगे चिपते किला नं. 4 में अपीलाण्ट सं0 1 की कृषि भूमि है जिसमें से होकर अपीालण्ट संख्या 2 की कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा मिल रही थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को बिना सुने प्रश्नगत खाला के अंकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

को हटाये जाने के आदेश दिये हैं तथा खाला का नियंत्रण सिंचाई विभाग के पास है, जिसे भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया और अपीलाधीन आदेश के द्वारा खाला के अंकन को हटाया जाकर खाला की भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेण्ट को दे दिये हैं। चूंकि अपीलाण्ट ने प्रश्नगत खाला से अपनी भूमि में सिंचाई करने का कथन किया है अतः प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.04.2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सिंचाई विभाग को प्रकरण में पक्षकार बनाकर एवं अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्ट एवं सिंचाई विभाग को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/7/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)